BA-2, Paper-I.
Topic - Governor (State government)
Date - 25.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU

कार्यकारी शक्तियां :-

3. राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है सब राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
4. राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है उसका पारिश्रमिक तय करता है।
5. राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, इसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को नियुक्त करता है लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है न कि राज्यपाल।
6. राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
7. राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है।
8. वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।

विधायी शक्तियां - राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्न विधायी शक्तियां एवं कार्य होते हैं :-

1. वह राज्य विधान सभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है।
2. राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है।
3. वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है।
4. जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

5. राज्य विधानपरिषद के कुल सदस्यों के 6वें भाग को राज्यपाल नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या उसका व्यवहारिक अनुभव हो।

6. वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य नियुक्त कर सकता है।

7. विधानसभा सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है।

8. राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को भेजे जाने पर वह
   1. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है।
   2. स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है।
   3. पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनः परिवर्तित विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है।
   4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है।

9. जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं। अध्यादेश विधेयक को राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। राज्यपाल किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है।

10. वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

Scanned with CamScanner